माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम–केरता जिला–सूरजपुर (छ.ग.)
पंजीयन क्रमांक–डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांकः 15.10.2006
बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई–निविदा प्रपत्र वर्ष 2023–24

बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई–निविदा की नियम एवं शर्तें

कारखाना स्थल : ग्राम–केरता, तहसील – प्रतापपुर, जिला – सूरजपुर (छ0ग0)

ठेकेदार का नाम व पता ....

....

....

27/10/2023

Managing Director
M.M.S.S K. Ambikapur

दिनांक – निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर
ग्राम–केरता जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई–निविदा वर्ष 2023–24

निविदा प्रपत्र

ई–निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1639(03) दिनांक 06/10/2023

ऑन लाईन ई–निविदा क्रमांक 149356

पेराई सत्र 2023–24 के लिए बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई–निविदा आंमत्रित की जाती है।

1	पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स ....
2	फर्म का पता	:.. ....
3	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1311.00 (एक हजार तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) वापसी योग्य नहीं है को **http://eproc.cgstate.gov.in** में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/प्रपत्र जमा की तिथि एवं समय	दिनांक 07/10/2023 को शाम 05.00 बजे से दिनांक 23/10/2023 को समय दोपहर 12.00 बजे तक **http://eproc.cgstate.gov.in** से निर्धारित शुल्क जमा कर डाऊनलोड़/अपलोड़ कर सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**दिनांक 23/10/2023 को समय दोपहर 02.00 बजे के बाद।**

6. अमानत/ई.एम.डी. राशि – निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 हेतु **राशि रूपये 60,000.00 रूपये (शब्दों में :– साठ हजार रूपये मात्र)** कारखाने के खाते में **(खाता नं 50100497159999 HDFC Bank Ambikapur, IFSC Code -: HDFC0009495)** में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित – अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। **RTGS/NEFT/TRANSFER** के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त की जाएगी। ई.एम.डी. राशि जमा की पावती को ई–निविदा के भाग–1 में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रबंध संचालक
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम-केरता

बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा वर्ष 2023-24

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम	:	....
2. पता	:	....
	:	....
3. मोबाईल नं.	:	....
4. ई-मेल आई.डी.	:	....
5. जी.एस.टी. नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	:	....
6. पैनकार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	:	....
7. लेबर ठेकेदारी पंजीयन क्रमांक (छायाप्रति संलग्न करें)	:	....
8. वैधता की तिथि	:	....
9. फर्म का बैंक एवं शाखा	:	....
10. फर्म का खाता क्रमांक	:	....
11. ई.एम.डी. जमा राशि	:	........................शब्दों में..................................
12. यू.टी.आर. नम्बर	:	....
13. कारखाने का बैंक एवं शाखा (जिसमें ई.एम.डी. जमा की गई है)	:	....

पंजीकृत ठेकेदार का नाम एवं हस्ताक्षर

–:: ई–निविदा की नियम एवं शर्तें ::–

ई–निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1639(03) दिनांक 06/10/2023

1. निविदाकार को तकनीकी भाग – दो के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, लेबर ठेकेदारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में से किसी तीन वर्ष का किन्तु लगातार वर्ष का आयकर रिटर्न अथवा बैलेन्सशीट अथवा आडिट रिर्पोट की छायाप्रति, श्रमिक का जीवित बीमा की छायाप्रति एवं 02 ट्रेक्टर लोडर हेतु एवं 02 ट्रैक्टर अन्य कार्य हेतु कुल 04 ट्रेक्टर स्वयं के नाम से अथवा स्वयं के नाम से ना होने पर 50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निस्पादित कर निविदा में सलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. निविदाकार ठेकेदार का पंजीयन श्रम अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग से कम से कम **50 मजदूर,** का पंजीयन होना अनिवार्य है।

3. बगास हैण्डलिंग का कार्य तीन पाली में किया जायेगा। बगास हैण्डलिंग कार्य हेतु प्रत्येक पाली में 10 मजदूर और 04 ट्रैक्टर ड्राइवर सहित, (दो ट्रैक्टर लोडर के लिए एवं दो ट्रैक्टर अन्य कार्य के लिए देना अनिवार्य होगा) अगर उक्त मजदूर एवं ड्राइवर शिफ्ट में अनुपस्थित पाये जाने पर उस दिन का बिल का भुगनान नहीं किया जायेगा। (02 ट्रेक्टर लोडर हेतु एवं 02 ट्रैक्टर अन्य कार्य हेतु स्वयं के नाम से अथवा स्वयं के नाम से ना होने पर 50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निस्पादित कर निविदा में सलग्न करना अनिवार्य होगा)।

4. तकनीकी भाग–2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं व्यावसायिक भाग–3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।

5. बगास हेण्डलिंग कार्य का दर प्रति दिवस (24 घण्टा) समस्त लेबर, 04 ट्रैक्टर ड्राइवर सहित होगा दिये गये दर पर जी.एस.टी. अतिरिक्त दी जावेगी एवं अन्य प्रकार के कर ठेकेदार को वहन करना पडेगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा जिससे कारखाना को जी.एस.टी का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नही मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।

6. प्रत्येक पाली में अधिकृत मजदूर एवं ड्राइवर फोटो पहचान पत्र पता एवं मोबाइल नम्बर जमा करना अनिवार्य है।

मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर • जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) • MMSSK

7. बायलर बन्द के समय का कोई भुगतान नही किया जायेगा।

8. बगास हैण्डलिंग के वजह से ट्रेक्टर/मजदूर से किसी भी तरह का आर.बी.सी. एवं अन्य मशीनरी का नुकसान हो जाता है। या फैक्ट्री का संचालन प्रभावित होता है एवं प्रेशर डाउन हो जाता है तो 20,000 रूपये (बीस हजार) प्रति घंटा से राशि कटौती की जायेगी।

9. मशीन ट्रीप के समय का पैसा नही दिया जावेगा इस समय में कार्य आप अपने व्यवस्था के लिए करेंगे।

10. सुरक्षा के सभी उपकरण एवं रेनकोट अपने सभी मजदूर को देना पड़ेगा। मधुमक्खी से सुरक्षा उपकरण देना पड़ेगा। मधुमक्खी के कारण कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।

11. बगास सुरक्षा हेतु बगास पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव करना अनिवार्य होगा।

12. प्रत्येक पाली में प्रत्येक मजदूर को टाइम ऑफिस और बायलर इंचार्ज के पास उपस्थिति देना अनिवार्य होगा।

13. बगास हेण्डलिंग कार्य के साथ बगास की आग से सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी इसकी क्षतिपूर्ति आपकी होगी।

14. बगास हेण्डलिंग में किसी भी दुर्घटना में मजदूर को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदाई आप होंगे संस्था नही होगी।

15. प्रत्येक मजदूर को हेलमेट, सेफ्टी शूज, गॉगल, यूनिफार्म, मास्क एवं ठेकेदार के साईन सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा

16. ट्रैक्टर एवं लोडर को कारखाने से डीजल नहीं दिया जायेगा।

17. बगास सेलो फैन के पास साफ-सफाई करना नियमित रूप से अनिवार्य होगा एवं मिल बन्द के दौरान वैक्यूम फिल्टर के लिए बगाससिलो से बगास डालना अनिवार्य होगा। चालू मिल में भी बगाससिलो के पास बगास हटाना नियमित रूप से अनिवार्य होगा। उक्त कार्यों में लापरवाही पाये जाने पर प्रति पाली में बिल से 2,000.00 रूपये (दो हजार) कटौती किया जायेगा।

18. प्रत्येक पाली में बगास हैण्डलिंग कार्य की देख-रेख हेतु एक सुपरवाईजर रखना अनिवार्य होगा, जिसको कार्य का रिपोर्टिंग बायलर इंचार्ज एवं शिफ्ट इंचार्ज को देना अनिवार्य होगा।

19. प्रत्येक पाली के अनुसार अपने मजदूरों का हाजरी का मास्टर अपने सुपरवाईजर द्वारा रखना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रतिपाली/प्रति दिन बॉयलर

मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर MMSSK जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

इंचार्ज/शिफ्ट इंजिनियर/चीफ इंजिनियर का साइन कराना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा।

20. निविदाकर्ता को उत्पादित बगास से बगास बेल (साइज 1X2 फीट) बनाना अनिवार्य होगा। जो सीजन प्रारंभ होने से लेकर सीजन समाप्त होने तक या इसके बाद भी आवश्यकतानुसार कार्य करना पड़ेगा। जिसका दर प्रति बेलन अलग से देना होगा।

21. बगास हेण्डलिंग कार्य में लगे मजदूरों का श्रम नियमानुसार बीमा किया जाना अनिवार्य है मजदूरों को बगैर बीमा कार्य में रखे जाते है इनके लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

22. कारखाना प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

23. वर्तमान में को-जेनरेशन पावर प्लाँट संचालित है एवं विद्युत विक्रय का कार्य लगातार होना है जिसमें लगातार बगास फिडिंग की आवश्यकता होती है अतः उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बगास फिडिंग कार्य प्रभावित होने के परिणामस्वरूप को-जेनरेशन पावर प्लाँट संचालन में बाधा आती है तो उक्त हानि की भरपाई आपसे की जावेगी तथा प्रबंधन द्वारा कारखाना हित में निर्णय लिया जावेगा।

24. निविदा के लिए निर्धारित शर्तो में परिवर्तन/निरस्त/नेगोशियेसन एवं शर्तो को शिथिल करने का अधिकार अध्यक्ष/क्रय विक्रय समिति/कारखाना प्रबंधन को होगा।

25. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।

26. अध्यक्ष/क्रय विक्रय समिति/प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यादेश निरस्त करने सम्बंधी पूर्ण अधिकार होगा।

पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं..फर्म ....प्रतिनिधि का नाम..पिता का नाम .... फर्म का पता..

मैं शपथ पुर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दर न्यून्तम है एवं इससे कम दर पर कार्य नही करूंगा।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यादेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैनें निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नही किया है और नही कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रमांक ....में राशि रूपये.........................दिनांक.............. ....को.संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नही पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूॅं।

निविदाकार का हस्ताक्षर